

कार्यालय प्रधानाचार्य: राजकीय मेडिकल कालेज, बाँदा ।

पत्रांक-रा0चि0वि0/2018/2384

दिनांक-27/12/2018

राजकीय मेडिकल कालेज, बाँदा में संविदा के आधार पर आचार्य, सह-आचार्य, सहा0 आचार्य एवं सीनियर रेजीडेन्ट/जूनियर रेजीडेन्ट/द्यूटर/डिमान्सट्रेटर के पदों पर सेवायोजन हेतु विज्ञापित:-

शासनादेश संख्या-3225/71-1-2014-जी0-560/2012 दिनांक- 2 जून 2014 एवं उक्त शासनादेश के क्रम में समय-समय पर निर्गत अन्य शासनादेश संख्या-2589/71-1-2016-जी0-560/2012 दिनांक 20/12/2016 के अनुपालन में राजकीय मेडिकल कालेज, बाँदा में रिक्त आचार्य, सह-आचार्य, सहा0 आचार्य/प्रवक्ता एवं द्यूटर/डिमान्सट्रेटर के पदों को संविदा के आधार पर भरे जाने हेतु आवेदन पत्र एतद्वारा आमंत्रित किये जाते हैं। इन पदों पर वाक-इन-इन्टरव्यू (Walk-in-Interview) के माध्यम से कालेज स्तर से संस्तुति के आधार पर शासन/महानिदेशक, चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण उ0प्र0 लखनऊ के स्तर से चयन किया जाना है। संविदा पदों पर अन्तिम चयन की प्रक्रिया शासन/महानिदेशालय के द्वारा की जानी है। इच्छुक अभ्यर्थियों से यह अपेक्षा की जाती है कि वह साक्षात्कार के समय अपने समस्त मूल प्रमाण पत्रों के साथ दिनांक-11.01.2019 onwards तक प्रधानाचार्य कार्यालय, राजकीय मेडिकल कालेज, बाँदा में समय प्रातः 10 बजे से सांय 3 बजे के मध्य उपस्थित हों। रिक्त पदों की संख्या नीचे तालिका में दर्शायी जा रही है। अभ्यर्थियों को यह भी सूचित किया जाता है कि वह साक्षात्कार दिवस को अपने समस्त शैक्षिक/जाति/अनुभव प्रमाण पत्रों/ शोध पत्रों की (स्वप्रमाणित) छायाप्रतियों के दो सेट बायोडाटा सहित उपस्थित होंगे।

राजकीय मेडिकल कालेज, बाँदा में संविदा पर चयन हेतु चिकित्सा शिक्षकों के रिक्त पदों की स्थिति

क्र0 सं0	विशिष्टता का नाम	राजकीय मेडिकल कालेज, बाँदा				
		आचार्य	सह-आचार्य	सहा0आचार्य /प्रवक्ता	सीनियर रेजिडेन्ट	जे0आर0/द्यूटर/ डिमान्सट्रेटर
1	एनाटमी	0	0	0	0	01
2	फिजियोलोजी	0	0	0	0	01
3	माइक्रोबायोलोजी	01	0	0	0	0
4	पैथोलोजी	01	01	0	0	01
5	फॉरेंसिक मेडिसिन	0	0	0	0	01
6	सामान्य मेडिसिन	0	0	02	05	01
7	मानसिक रोग	0	0	01	01	01
8	पीडियाट्रिक्स	01	0	0	0	01
9	स्कीन बी0डी0	0	0	01	01	0
10	टी0बी0चेस्ट	0	0	01	01	0
11	अस्थि रोग	01	01	0	01	01
12	सामान्य सर्जरी	0	0	0	06	02
13	ई0एन0टी0	0	0	0	02	0
14	आथोमोलोजी	0	0	01	02	0
15	स्त्री एवं प्रसुति रोग	0	0	0	0	02
16	एनेस्थीसिया	0	02	0	02	02
17	रेडियोडायग्नोसिस	01	01	01	02	02
18	ब्लड बैंक	01	0	0	01	0
योग-		06	05	07	24	0
						14

नोट- पदों की संख्या घट-बढ़ सकती है एवं प्रदर्शक (द्यूटर/डिमान्सट्रेटर) के पद हेतु एम0सी0आई0 मानकों के अनुसार एम0बी0बी0एस0 अभ्यर्थी ही मान्य होंगे।

- उक्त पदों पर नियमानुसार आरक्षण लागू होगा संविदा पर नियुक्ति की शर्तें निम्नवत् हैं:-
- संविदा पर नियुक्ति किये जाने वाले आचार्यों का नियम (मेडिकल कालेज से सेवानिवृत्त आचार्यों को शासनादेश संख्या-250/2018/4087/71-1-2017-जी0-83/2008 द्वारा निर्गत शर्तों अनुसार वेतन रू0-220,000 दिये जायेगा) वेतन रू0 90,000/- सह-आचार्यों का नियत वेतन रू0 80,000/- तथा सहायक आचार्यों का नियत वेतन रू0 60,000/- प्रतिमाह है। इस हेतु आवेदक को **Medical Council of India, Minimum, Qualification for teachers in Medical Institutions Regulations, 1999** द्वारा निर्धारित शैक्षिक अर्हतायें एवं अनुभव पूर्ण करना आवश्यक है।
2. चिकित्सा शिक्षकों के पदों पर संविदा के आधार पर नियुक्ति हेतु 70 वर्ष से कम आयु सीमा के अभ्यर्थी अभ्यर्थन कर सकते हैं।
 3. सीनियर रेजीडेन्ट्स/जूनियर रेजीडेन्ट्स के पदों पर संविदा के आधार पर नियुक्ति हेतु 40 वर्ष से कम आयु सीमा के अभ्यर्थी अभ्यर्थन कर सकते हैं।
 4. एम0सी0आई0 नई दिल्ली द्वारा सहायक-आचार्य पद के लिये 01 वर्ष का एस0आर0 का अनुभव होना अनिवार्य होगा।
 5. चिकित्सा शिक्षकों की शैक्षिक अर्हता/शैक्षिक अनुभव उ0प्र0 राज्य चिकित्सा महाविद्यालय अध्यापकों की सेवा नियमावली (द्वितीय संशोधन) नियमावली, 2005 में निहित के अनुसार होगी।
 6. ओ0पी0डी0 के दिन प्राइवेट प्रैक्टिस नहीं करेंगे।
 7. प्राइवेट प्रैक्टिस करने वाले शिक्षकों को प्राइवेट प्रैक्टिस करने का स्थान निर्दिष्ट करना होगा।
 8. कोई भी चिकित्सा शिक्षक मरीजों को प्राइवेट में देखने के लिये बाध्य नहीं करेगा।
 9. प्राइवेट प्रैक्टिस करने वाले चिकित्सा शिक्षकों को मेडिकल कालेज में आकस्मिक/आपदा सेवाओं के लिये हमेशा उपलब्ध रहना होगा।
 10. उक्त नियत वेतन के अतिरिक्त संविदा पर कार्यरत चिकित्सा शिक्षकों को अन्य किसी प्रकार के वेतन/भत्ते एवं सेवागत लाभ अनुमन्य नहीं होंगे।
 11. संविदा पर नियुक्त चिकित्सा शिक्षकों की सेवायें लोक सेवा आयोग से सीधी भर्ती के माध्यम से चयनित चिकित्सा शिक्षकों के उपलब्ध होने पर तत्काल समाप्त हो जायेगी एवं सेवा संतोशजनक न पाये जाने पर एक माह की नोटिस देकर भी समाप्त की जा सकती है।
 12. चिकित्सा शिक्षकों का संविदा कार्यकाल एक वर्ष का होगा। एक वर्ष की संतोशजनक सेवा के पश्चात लोक सेवा आयोग से चयनित अभ्यर्थी/नियमित चिकित्सा शिक्षक उपलब्ध न होने पर आवश्यकतानुसार इनकी संतोशजनक सेवा के आधार पर सेवाकाल पुनः बढ़ाया जा सकेगा।
 13. संविदा पर नियुक्त चिकित्सा शिक्षकों के लिये आवश्यक होगा कि वह करार के 15 दिन के भीतर सम्बन्धित मेडिकल कालेज में अपना कार्यभार ग्रहण कर लें। उक्त कालावधि में कार्यभार ग्रहण न करने की दशा में संविदा नियुक्ति स्वतः रद्द मानी जायेगी। संविदा पर नियुक्त ऐसे चिकित्सा शिक्षक को कार्यभार ग्रहण की सूचना सम्बन्धित मेडिकल कालेज के प्रधानाचार्य द्वारा शासन तथा महानिदेशक, चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण, उ0प्र0 लखनऊ को तत्काल भेजी जायेगी।
 14. संविदा पर नियुक्त चिकित्सा शिक्षक संविदा कालावधि के लिये किसी भी प्रकार के पेंशन संबंधी सुविधाओं का हकदार नहीं होगा। उसे ऐसे कालावधि के लिये बोनस देय नहीं होगा।
 15. चिकित्सा शिक्षक शासकीय सेवा में विनियमितीकरण के लिये हकदार नहीं होगा।
 16. संविदा आधारित नियुक्ति किसी भी एक पक्ष और किसी भी समय एक माह की सूचना या एक माह का संविदा वेतन भुगतान करके समाप्त की जा सकती है।
 17. संविदा पर नियुक्त चिकित्सा शिक्षकों की अन्य सेवा शर्त ऐसी होगी जैसे करार या अनुबन्ध पत्र में विनिर्दिष्ट की जाये। संविदा पर कार्यरत चिकित्सा शिक्षक द्वारा अनुबन्ध या करार में इस तथ्य का उल्लेख किया जायेगा कि वह भविष्य में अपने कार्य एवं कार्यकाल के आधार पर अपने विनियमितीकरण अथवा स्थायीकरण का दावा नहीं करेंगे और न ही उन्हें निर्धारित नियत वेतन के अतिरिक्त कोई अन्य सुविधा अनुमन्य होगी।
 18. साक्षात्कार के समय अभ्यर्थी इस आशय का घोशणा/शपथ पत्र प्रस्तुत करेंगे कि उनके विरुद्ध मा0 न्यायालय में कोई अपराधिक वाद प्रचलित नहीं है और यदि उनके विरुद्ध कोई प्रतिकूल तथ्य पाया जाता है तो उनकी सेवायें समाप्त कर दी जायेगी।

